रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062020-219886
CG-DL-E-11062020-219886

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 11, 2020/ज्येष्ठ 21, 1942
No. 287]	NEW DELHI, THURESDAY, JUNE 11, 2020/JYAISHTHA 21, 1942

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2020

सा.का.नि. 368.(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, उप निदेशक प्रवर्तन, भर्ती नियम, 2014 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, प्रवर्तन निदेशालय, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में उप निदेशक प्रवर्तन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, उप निदेशक प्रवर्तन, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2020 है।
   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**- पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता, आदि** – भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता** - वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की हैं;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप निदेशक, प्रवर्तन	150* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रु.)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) तैतीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है; और (ii) सड़सठ प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति :- ऐसे सहायक निदेशक प्रवर्तन जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-173500 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की है और जो विभाग द्वारा यथाविहित सुसंगत क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): अखिल भारतीय सेवा या केन्द्रीय सेवा, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार, राज्य पुलिस संगठन या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या भारतीय रिजर्व बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक भी हैं, के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर	प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (i) अपर सचिव राजस्व विभाग - अध्यक्ष (ii) निदेशक प्रवर्तन - सदस्य (iii) संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग - सदस्य	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की हो; और (ख) (i) जिनके पास राजवित्तीय या दांडिक विधियों से संबंधित विधिक कार्य, आसूचना, अन्वेषण कार्य और न्यायनिर्णयन या अभियोजन के क्षेत्र में पाँच वर्ष का अनुभव हो; या (ii) जिनके पास बैंकिंग या लेखा या संपरीक्षा में अन्वेषण का पाँच वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण 1 :** भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों के लिए:- (i) ऐसे अधिकारी जो समूह 'घ' (उप महाप्रबंधक) में कार्यरत है; या (ii) ऐसे अधिकारी जिन्होंने समूह 'ग' (सहायक महाप्रबंधक) में पाँच वर्ष सेवा की है, चयन के क्षेत्र में विचार किया जाए। पब्लिक सैक्टर बैंक के अधिकारियों के लिए:- (i) ऐसे अधिकारी जो वेतनमान-V (सहायक महाप्रबंधक) में कार्यरत है; या (ii) ऐसे अधिकारी जिन्होंने वेतनमान - IV (मुख्य प्रबंधक) में पाँच वर्ष सेवा की है, चयन के क्षेत्र में विचार किया जाएगा। **टिप्पण 2 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा.सं. ए-12018/2/2015-ए डी ई डी]

विवेक मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2020

G.S.R. 368(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Deputy Director of Enforcement, Recruitment Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director of Enforcement, in the Directorate of Enforcement, Ministry of Finance, Department of Revenue, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Deputy Director of Enforcement, Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in the pay matrix.** — The number of the post, its classification, pay level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule, annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc..**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person, --

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Deputy Director of Enforcement.	150* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group, A, Gazetted, non-Ministerial.	Level-11 (67700-208700) in Pay Matrix.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	(i) Thirty three per-cent by promotion failing which by deputation, including short term contract; and (ii) sixty-seven per-cent by deputation including short term contract.	Promotion :- Assistant Director of Enforcement with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay matrix level-10 (Rs. 56100-177500) and having successfully completed training of two to four weeks in the relevant field as prescribed by the department. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (Including Short Term Contract): -** Officers of All India Services or Central Services including State Governments, or State Police Organisations or Central Bureau of Investigation or Reserve Bank of India or Public Sector Banks:-	Group 'A' Departmental Promotion Committee, for promotion, consisting of:- (I) Additional Secretary, Department of Revenue – Chairman (II) Director of Enforcement – Member (III) Joint Secretary, Department of Revenue-Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up the post on deputation (Including Short-Term Contract).

			(A)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre of department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay matrix level-10 (Rs. 56100-177500); or equivalent in the parent cadre or Department; and (B) (I) possessing five years experience in the field of Legal work, Intelligence, Investigation work and adjudication or prosecution relating to fiscal or criminal laws; or (II) possessing five years experience of investigative in Banking or Accounts or Audit. Note 1: For Reserve Bank of India officers:- (i) officers working in Group 'D' (Deputy General Manager); or (ii) officers having five years of service in Group 'C' (Assistant General Manager) would be considered in the field of selection. For Public Sector Bank Officers:- (i) officers working in Scale-V (Assistant General Manager); or (ii) officers having five years of service in Scale -IV (Chief Manager) would be considered in the field of selection. Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation/ absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		

			Note 3: Period of deputation (Including Short-term Contract) including period of deputation (Including Short-Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. Note 4: The maximum age limit for appointment by deputation (Including Short-Term Contract) shall not be exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications).		

[F. No. A-12018/2/2015-Ad.ED]

Vivek Mishra, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA